वाणिज्य तथा उद्योग विभाग की अधिसूचना

क्रमांक 9059/4005 ग्यारह सी (63) दिनांक 14 जुलाई 1964 में प्रकाशित भूमिहित निधि अधिनियम क्रमांक 6, सन् 1878 के अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नियमों और निम्नलिखित पूरक हिदायतों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है –

1. अधिनियम की धारा 5 ''क'' के अन्तर्गत उक्त धारा के अंतर्गत जांच पडताल के लिये नियम 1 के फार्म ''ह'' के अनुसार अधिसूचना में दी गई तारीख उसकी अपेक्ष अनुसार सदैव की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 5 माह पूर्व की होनी चाहिये । इस बात पर सावधानी पूर्वक ध्यान देना आवश्यक है, क्योकि निश्चित अवधि के संबंध में कोई गभीर त्रुटी होने से आगामी कार्यवाहियॉ विफल हो सकती है ।

(1) आयुक्तों और कलेक्टरों को किन्ही भी शासकीय भूमियों के सिक्के, मूर्तियां या पुरातत्वीय वस्तु कला संबंधी पुराकालीन महत्व की अन्य वस्तुओं या अवशेषों को हस्तगत करने से रोकने और ऐसी भूमियों से राज्य शासन की विशेष मंजूरी के बिना गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की खुदाई निषिद्ध करने के उपाय करने चाहियें ।
(2) भूमि में या उससे संबंद्ध किसी भी वस्तु में दबी हुई किसी भी मूल्य की सभी स्वामित्वहीन पुरातन वस्तुओं, जैसे- प्रतिमाएं और इमारतों के भग्नावशेष अधिनियम के उपबंधो के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय संस्था में परीक्षण के लिये प्राप्त किया जाना चाहियें । ऐसी पुरातन वस्तुओं के संबंध में जो अधिनियम के अंतर्गत नही लाई जा सकती हो और जिन्हे ऐसी संस्थाओं में रखना वांछनीय प्रतीत होता हो, कलेक्टर को पाने वाले व्यक्ति से यह पूछ लेना चाहियें के क्या वह युक्तियुक्त मूल्य पर उसे शासप को देना चाहेगा ।
(3) ऐसे कई उदाहरण है, जिसमें पुरातल धार्मिक मूर्तियां ऐसी स्थितियों में मिली है कि उन्हे अधिनियम में यथा परिभाषित शब्द भू-निहित निधि के तात्पर्य के अंतर्गत लाया जा सकता था किन्तु जिन्हे स्थानीय सम्प्रदायों ने तत्काल ही हस्तगत कर लिया और स्थानीय अधिकारियों के जाने या अनजाने में पूजा के लिये उनकी प्रतिष्ठा कर दी । जब पुरातत्व विभाग के सामने इस प्रकार की घटना गई तब उसने संग्रहालय में परीक्षण के लिये ऐसी मूर्तियों को प्राप्त करने के संबंध में राजनीतिक कारणों से सिफारिश करना अवांछनीय समझा । इस प्रकार के हस्तगत किये जाने से संग्रहालय न केवल पुरातत्वीय सामग्री से जो कि कभी-कभी बहुत सी महत्वपूर्ण होती है, वंचित रहते है, बल्कि उन्हे पहचानने में होने वाली गलती से साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा होने का खतरा भी बना रहता है क्योकि अकसर संबंधित व्यक्ति, जिन्हे प्रतिमा विज्ञान का बहुत कम ज्ञान होता है, गलती से बुद्ध प्रतिमाओं को हिन्दु या जैन देवताओं की प्रतिमा मान बैठते है । अतएव राज्य शासन का विचार है कि इस प्रकार के धार्मिक विवाद से बचने के साथ ही पुरातत्वीय हित की दृष्टि से उन पदाधिकारियों को जिन पर इस अधिनियम को लागू करने का दायित्व है उन स्थितियों को प्रमुख रूप से ध्यान में रखना चाहिये, जिससे शासन प्राचीन वस्तुओं पर दावा कर सकता हो ।

2. उन हिदायतों का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पुराने सिक्के, मूर्तियों और ऐसी ही अन्य पुरातन वस्तुएं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आती हों, कुशल मुद्राशास्त्रियों और पुरातत्वविदों के निरीक्षण अधीन आ जावें ।

3. पाये गये सोने, चांदी या तांबें के ऐसे किन्ही भी सिक्कों को जो पुराने होते हों, अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत अर्जित करने के पहले कलेक्टर को चाहिये कि वह उप संचालक, संग्रहालय को प्रत्येक प्रकार के सिक्के के नमूने तथा, प्राप्त सिक्के के मूल्यात्रीत,आसपास के क्षेत्र और ठीक-ठीक स्वरूप संबंधी पूरा तथा सही अभिलेख भेजे। ऐसा अभिलेख जरूरी है क्योकि उससे खोज स्थान के इतिहास पर प्रकाश पड सकता है या सिक्कों की विभिन्न श्रेणियों के संबंध में और काल निर्धारण का सुराग मिल सकता है, जिनके बारे में सिक्कों पर अंकित लिखावट या चिन्हों से कुछ भी नही जाना जा सकता है । मूर्तियों और पुरातत्वीय महत्व की अन्य वस्तुओं या अवशेषों के संबंध में कलेक्टरों को उप संचालक, संग्रहालय को खोज के संबंध में और साथ हि उसे, यदि संभव होता, फोटो तथा अंकित लिखाबट की छाप भी भेजनी चाहिये । उसे उप संचालक, संग्रहालय को भेजी जाने वाली सूचना की एक दूसरी प्रति संचालक, उद्योग विभाग को भी भेजनी चाहिये और साथ ही राज्य शासन से वाणिज्य तथा उद्योग विभाग को प्राप्त वस्तु ओर की गई कार्यवाही की सूचना देनी होगी ।

4. सिक्के प्राप्त होने पर उप संचालक, संग्रहालय किसी विशेषज्ञ द्वारा उनकी इस दृष्टि से जांच करायेगा कि क्या वे इतने महत्वपूर्ण है कि उन्हें अर्जितकिया जाये यदि विशेषज्ञ को ऐसा कोई संदेह हो तो उप संचालक को निर्णय लेने के पूर्व सिक्कों को केन्द्रीय शासन के संबंधित प्राधिकारी के पास उसकी राय जानने हेतु भेजने चाहिये। उप संचालक संग्रहालय कलेक्टर को जांच के परिणाम और उसके द्वारा अर्जन के लिये सिफारिश किये गये सिक्कों के विवरण और संख्या के संबंध में सूचना देगा। इस प्रकार से सिफारिश किये गये सिक्के उप संचालक, संग्रहालय द्वारा सीधे संचालक, उद्योग विभाग को वितरणार्थ भेजे जायेगे और शेष नीचे की कंडिका 8 के अनुसार रखे गये सिक्कों को छोड कलेक्टर को लौटा दिये जायेगें। उप संचालक, संग्रहालय को नीचे की कंडिका 5 के अनुसार संग्रहालयों को सिक्के वितरित करने के पूर्व भू निहित निधि सिक्कों के सभी महत्वपूर्ण संग्रहों, विशेषत: उनके पास के आहत (पंचामार्क्स) सिक्कों के पूरे और सही अभिलेख तैयार करने की व्यवस्था करती चाहिये। यदि सिक्के दुर्लभ और महत्वपूर्ण हो तो उप संचालक, संग्रहालय को उनके फोटो-अभिलेख तैयार कराने और उन्हे रखने की भी व्यवस्था करनी चाहिये।
मूर्ति आदि प्राप्त होने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर उप संचालक, संग्रहालय तो उन्हें सिक्का विशेषज्ञ को उनकी जांच के लिये भेजेगा या पुरातत्व विभाग को उसकी सूचना देगा और फिर कलेक्टर को परिणाम सूचित करेगा,जो तदनुसार कार्यवाही करेगा।

5. जो सिक्के परीक्षण के योग्य समझे जाएं वे साधारणतया निम्नालिखित संस्थाओं के लिये अर्जित किये जाने चाहिये।
1. उस राज्य के प्रमुख संग्रहालय जिसमे भू-निहित निधि पाई गई हो।
2. जब प्राप्त वस्तु केवल एक ही हो तो उसे राज्य संग्रहालय के लिये अर्जित किया जाना चाहिये
3. जब सिक्कों में एक ही किस्म के उससे अधिक नमूने हो जितने कि प्रत्येक संस्थाओं में एक-एक के हिसाब से देने के लिये आवश्यक हों, तब उप संचालक, राज्य संग्रहालय शेष सभी सिक्के या उसके किसी भाग को उनके मुद्र मूल्य पर बिक्री हेतु अर्जन की सिफारिश करने में अपने विवेकानुसार कार्य करेगा और प्रत्येक किस्म के संबंध में वह मूल्य सदैव ही सूचित किया जाएगा।

6. ऐसी किसी भी संस्था को सिक्के देना आवश्यकत है जिसके पास ठीक उसी प्रकार के सिक्के पहिले से हो। उप संचालक, संग्रहालय को अपनी सिफारिश भेजने में सहायता मिल सके, इस दृष्टि से उसे प्रत्येक संस्था में विद्यामन संग्रह का केटलाग या सूची दी जावेगी।

7. उप संचालक राज्य संग्रहालय (ऊपर की कंडिका 4) सूचना प्राप्त हाने पर कलेक्टर निम्नानुसार कार्यवाही करेगा –
(क) यदि सिक्के के अर्जन की सिफारिश नहीं की गई तो वह अधिनियम की धारा 9 से 15 के अंतर्गत सिक्कों आदि की व्यवस्था करेगा।
(ख) यदि सिक्कों के अर्जन की सिफारिश की गई हो, तो वह उपं संचालक, संग्रहालय की सिफारिश के अनुसार सिक्के अर्जित करेगा और संचालक, उद्योग विभाग का ऊपर की कंडिका 3 के अनुसार दिये गये पिछले पत्र व्यावहार के तारतम्य में अपने द्वारा ऐसा किये जाने की सूचना देगा।
कलेक्टर उस कंडिका के अतर्गत की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन के वाणिज्य विभाग तथा उद्योग विभाग को देगा।

8. सिक्के प्राप्त होने पर संचालक, उद्योग विभाग उप संचालक राज्य संग्रहालय की सिफारिश के अनुसार उनका वितरण करेगा और बिक्री के लिये उपलब्ध सिक्के मुद्रशास्त्रियों को बेचने की भी व्यवस्था करेगा। सूचियां संचालक द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार राज्यपत्र में प्रकाशित की जानी चाहिये। जिसमें बिक्री के लिये उपलब्ध सिक्के की संख्या और विवरण दिये जाने चाहिये तथा सूचियों की प्रतियां उन मुद्रशास्त्रियों को भेजी जानी चाहिये जिन्होने उपने नाम पंजीयन कराये हो। समय-समय पर इस आशय की सूचना भी प्रकाशित की जानी चाहिये कि वे मुद्राशास्त्री अपने नाम संचालक को भेजे जो सूची की प्रतियां चाहते हो। जो सिक्के पांच वर्ष से अधिक अवधि तक न बिक पाये वे भारत सरकार की टकसाल को गलाने के लिये भेज दिये जाने चाहिये। मूर्तियां तथा अन्य महत्व की पुरातन वस्तुऐं अर्जित किये जाने पर या तो राज्य संग्रहालय में लाई जाएगी और यदि बडे आकार के कारण न लाई जा सकती हो तो संरक्षण में ले ली जायेगी।

9. अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत पाई गई वस्तु की सूचना कलेक्टर को तभी दी जावेगी जब कि निधि की रकम या मूल्य दर रूपये से अधिक हो तथापि कलेक्टर को जब 10 रूपये के कम मूल्य की वस्तु मिलने की जानकारी मिले तब, उसे

पाने वाले ऊपर की कंडिका 3 में उल्लिखित काल और ब्यौरे के सिक्के अधिनियम की धारा 16 में निर्धारित शर्तो पर खरीदने की शक्ति प्राप्त है। इन सिककों की व्यवस्था भी ऊपर वर्णित तरीके से ही की जानी चाहिये।

10. संचालक, उद्योग विभाग सिक्कों के संबंध में एक मुर्दित वार्षिक प्रतिवेदन अधिक से अधिक एक जुलाई तक शासन के वाणिज्य तथा उद्योग विभाग को प्रस्तुत करेगा। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के परिणामों का संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिये ओर उन सिक्कों की कुल संख्या दर्शायी जानी चाहिये, जिनके संबंध में आलोच्य वर्ष के दौरान कार्यवाही की गई हो या जिन्हें वितरित किया गया हो, साथ ही संलग्न फार्म में धातु के अनुसार और मोटे तौर पर संबंधित श्रेणीके अनुसार उनका वर्गीकरण भी दर्शाया जाना चाहिये। प्रतिवेदन राजपत्र के परिशिष्ट किया जावेगा और उसकी एक प्रति पुरातत्व महा संचालक को भेजी जावेगी।

फार्म

धातु	प्राचीन	मध्य युगीन	आधुनिक
सोना			
चांदी			
तांबा			
योग			

MPS@DC
INFOTECH ENGINE OF M.P.
(MP CODE)
www.code.mp.gov.in